

प्रेसनोट दिनांक 22.02.2021

- दिनांक 21.02.21 को वादी श्री मेवालाल यादव पुत्र भगौती प्रसाद यादव नि० अब्बूसराय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि उमेश पुत्र गणेश चन्द्र यादव नि० अब्बूसराय सहादतगंज थाना कैण्ट अयोध्या आदि 02 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 81/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 21.02.21 को वादी उ०नि० श्री सुरेश गुप्ता थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दिलीप वर्मा पुत्र राम सुन्दर वर्मा नि० चॉदपुर कैल थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 61/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 21.02.21 को वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र सरयू प्रसाद नि० कनकपुर थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 45 एए 4140 स्कूटी का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को टक्कर मार देना जिससे पैर में गम्भीर चोट आना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 44/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 21.02.21 को वादी उ०नि० श्री रमेश कुमार थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० निसार पुत्र मो० अजीम नि० लहरापुर थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 82/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 21.02.21 को वादी उ०नि० श्री गजेन्द्र राम खरवार थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पीर अली पुत्र नसीम नि० लहरापुर थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 83/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 21.02.21 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुभान पुत्र इजरीस नि० लखौरी थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा तथा 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 84/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 21.02.21 को वादी उ०नि० श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. इसराइल पुत्र इदरीस 2. शाहे आलम पुत्र बालम नि०गण लखौरी थाना रौनाही अयोध्या दोनो गिर० अभियुक्तगण के कब्जे से 500 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 86/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 21.02.21 को वादी उ०नि० श्री संजय कुमार यादव थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दिनेश पुत्र नन्हकू नि० इसरौलिया थाना को०रुदौली अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 82/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 21.02.21 को वादी उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अजय पाण्डेय पुत्र शिव नारायण पाण्डेय 2. गंगाराम उर्फ रिधनी पुत्र गयाबक्श नि०गण धमथुआ थाना कुमारागंज अयोध्या दोनो गिर० अभि०गण द्वारा जान से मारने की नियत पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर करना। अभि० अजय पाण्डेय के कब्जे से 01 अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभि० गंगाराम के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 39/21 40/21 41/21 धारा 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।